उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-7
संख्या- 473 /नौ-7-2024-9-7099/131/2023
लखनऊ: दिनांक: 05 फरवरी, 2024

नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा सड़कों के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु संचालित सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ-साथ "मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) (सीएम- ग्रिड्स)" के कार्यान्वयन , संचालन एवं मूल्यांकन के लिए नगर विकास विभाग के अन्तर्गत गठित '' अर्बन रोड इन्फ्रास्ट्क्चर डेवलपमेन्ट एजेन्सी ''(URIDA) **हेतु डिप्टी सी.ई.ओ. यूरिडा, का 01 (एक) निः संवर्गीय पद निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सृजित** किया जाता है:-

I. उक्त निः संवर्गीय पद का सृजन दिनांक 29.02.2024 तक की अवधि के लिये किया जाता है।

II. उक्त निः संवर्गीय पद जिस कार्य हेतु सृजित किया जा रहा है , उक्त कार्य की समाप्ति के उपरान्त पद स्वतः समाप्त हो जाएगा ।

III. **डिप्टी सी.ई.ओ. यूरिडा के पद पर लोक निर्माण विभाग या उसके अनुषंगी निगमों/प्राधिकरणों यथा उ.प्र. राज्य सेतु निगम/उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड/उ.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के कम-से-कम मुख्य अभियंता स्तर के से.नि. सिविल इंजिनियर की तैनाती पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन की जायेगी।**

IV. डिप्टी सीईओ , यूरिडा के पुनर्नियोजन की अवधि में अन्य सेवा शर्तें वही लागू होंगी जो अस्थाई सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

V. पुनर्योजित कार्मिकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा , जो पुनर्योजित कार्मिकों के अन्तिम आहरित मूल वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) घटाने के फलस्वरुप आए अथवा पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो , से अधिक न होगा। पुनर्योजन की अवधि में शुद्ध वेतन तथा शुद्ध पेंशन के योग पर मंहगायी भत्ता अनुमन्य होगा। पेंशन पर पृथक से राहत अनुमन्य न होगी।

VI. पुनर्योजित सरकारी सेवक को अस्थाई कर्मचारी की भांति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2, भाग- 2-4, के सहायक नियम 157- ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा। परंतु उक्त अवधि में अर्जित अवकाश का नकदीकरण अनुमन्य नहीं होगा।

VII. पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिये नहीं गिनी जायेगी और पद का भार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति कर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

VIII. पुनर्योजन की अवधि में सरकारी सेवक को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उसके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होगें जैसा कि यात्रा भत्ता नियम 16- ए में प्राविधानित है।

IX. डिप्टी सीईओ , यूरिडा को मकान किराया भत्ता, अंतिम आहरित वेतन के समय देय मकान किराया भत्ता के समान होगा।

X. उपर्युक्त पद पर होने वाला व्यय सीएम- ग्रिड्स योजनान्तर्गत कुल प्राविधानित बजट में से एजेन्सी हेतु आरक्षित 1.5 प्रतिशत भाग से किया जायेगा।

XI. डिप्टी सीईओ, यूरिडा को वाहन, कार्यालय, दूरभाष एवं सहायक कर्मचारी की सुविधा उपलब्ध होंगी।

Digitally Signed by अमृत अभिजात
Date: 05-02-2024 14:57:58
Reason: Approved
(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

I/486773/2024

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उ.प्र. प्रयागराज।
2. निदेशक पेंशन निदेशालय लखनऊ।
3. निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय उ.प्र. लखनऊ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूरिडा लखनऊ।
5. समस्त नगर आयुक्त नगर निगम उ.प्र.।
6. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ.प्र.।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से

Digitally Signed by कल्यान बनर्जी

Date: 05.02.2024 16:04:28

Reason: Approved

(कल्याण बनर्जी)

संयुक्त सचिव।